दक्षिण पूर्व रेलवे-निविदा

भारत के राष्ट्रपति के लिए तथा उनकी ओर से डीएसटीई, रांची, दक्षिण पूर्व रेलवे द्वारा निम्नलिखित कार्यों के लिए ई-निविदाएं आमंत्रित की जाती हैं: **क्रम सं.** 1, **ई-एनआईटी सं.: एसटी-आरएनसीटी5-26-सीसीटीवी-यार्ड, कार्य का नाम:** रांची मंडल के 9 स्टेशनों में यार्ड क्लोज्ड सर्किट टेलीविजन सिस्टम की आपूर्ति, स्थापना, जांच एवं चालू करने के संबंध में एस एंड टी कार्य का निष्पादन। **विज्ञापित मूल्य:** रु. 1,61,41,624.69 (रुपये एक करोड़ इकसठ लाख इकतालीस हजार छह सौ चौबीस और पैसे उनहत्तर मात्र); **ईएमडी:** रु. 3,22,800.00 (रुपये तीन लाख बाईस हजार आठ सौ मात्र); **क्रम सं.** 2, **ई-एनआईटी सं.: एसटी-आरएनसीटी3-26-सीसीटीवी-एलसी, कार्य का नाम:** रांची मंडल के 11 अदद एलसी गेटों (नॉन-इंटरलॉक्ड) में क्लोज्ड सर्किट टेलीविजन सिस्टम के प्रावधान के संबंध में एस एंड टी कार्य का निष्पादन। **विज्ञापित मूल्य:** रु. 87,30,258.40 (रुपये सत्तासी लाख तीस हजार दो सौ अट्ठावन और पैसे चालीस) मात्र; **ईएमडी:** रु. 1,74,600.00 (रुपये एक लाख चौहत्तर हजार छह सौ मात्र); **निविदा दस्तावेज की कीमत:** शून्य; **ई-निविदा बंद होने की तारीख एवं समय:** 28.10.2026 को 11.00 बजे। **बोली शुरू होने की तारीख:** 14.10.2026, **वेबसाइट का विवरण तथा ब्यौरा: www.ireps.gov.in** (कार्य निविदा) **(PR-878)**

जमशेदपुर। एक्सएलआरआई जमशेदपुर की ओर से शुक्रवार को 13वें डॉ. वर्गीज कुरियन मेमोरियल ओरेशन ऑन सस्टेनेबल डेवलपमेंट का आयोजन किया जाएगा।

श्वेत क्रांति के जनक और अमूल के संस्थापक डॉ. वर्गीज कुरियन की स्मृति में आयोजित होने वाले कार्यक्रम में नाबार्ड के चेयरमैन डॉ. शाजी केवी मुख्य वक्ता के रूप में विचार साझा करेंगे। भारत को दुग्ध उत्पादन के क्षेत्र में आत्मनिर्भर बनाने वाले मिल्क मैन डॉ. कुरियन के आदर्शों को समर्पित इस मंच की शुरुआत संस्थान के फादर अरुपे सेंटर फॉर इकोलॉजी एंड सस्टेनेबिलिटी द्वारा की गई थी। इसका उद्देश्य उद्यमशीलता की भावना जागृत करना है।

सूचना

दी जमशेदपुर को-ऑपरेटिव हाउस बिल्डिंग सोसाइटी लि.

1. एतद् द्वारा समिति के प्रतीक्षारत सदस्यों को सूचित किया जाता है कि संगम विहार, सोनारी में दो मंजिला बिल्डिंग आवंटन / हस्तांतरण हेतु उपलब्ध है। समिति के प्रतीक्षारत सदस्य यदि उक्त फ्लैट का आवंटन / हस्तांतरण हेतु इच्छुक हैं, तो 30 दिनों के अंदर समिति कार्यालय से संपर्क करें।

2. एतद् द्वारा समिति के प्रतीक्षारत सदस्यों को सूचित किया जाता है कि माधव बाग मानगो, जमशेदपुर में एक मंजिला बिल्डिंग आवंटन / हस्तांतरण हेतु उपलब्ध है। समिति के प्रतीक्षारत सदस्य यदि उक्त बिल्डिंग का आवंटन / हस्तांतरण हेतु इच्छुक हैं, तो 30 दिनों के अंदर समिति कार्यालय से संपर्क करें।

आदेश, अध्यक्ष

चाकुलिया नगर पंचायत का कार्यालय, चाकुलिया

आम सूचना

आम नागरिकों को सूचित किया जाता है कि चाकुलिया नगर पंचायत क्षेत्र अंतर्गत होल्डिंग टैक्स (संपत्ति कर) का भुगतान हेतु आवेदन प्रक्रिया कार्यालय में, डोर–टू–डोर एवं ऑनलाईन माध्यम में प्रारंभ कर दी गई है।

अतः आप सभी से अनुरोध है कि समय पर अपने होल्डिंग टैक्स (संपत्ति कर) बकाया भुगतान जमा करने की कृपा की जाय ।

कार्यपालक पदाधिकारी
चाकुलिया नगर पंचायत

PR 391372 Urban Development(26-27).D

यूको बैंक UCO BANK मानगो, जमशेदपुर शाखा

भारत सरकार का उपक्रम (A Govt. of India Undertaking)

सम्मान आपके विश्वास का Honours Your Trust

कब्जा सूचना (अचल सम्पत्ति के लिये)

जबकि,

अधोहस्ताक्षरी, प्राधिकृत अधिकारी, **यूको बैंक, मानगो, जमशेदपुर शाखा** वित्तीय आस्तियों का प्रतिभूतिकरण और पुनर्गठन तथा प्रतिभूति हित का प्रवर्तन अधिनियम, 2002 (2002 का सं. 54) के अधीन और धारा 13(12) तथा संपठित प्रतिभूत हित (प्रवर्तन) नियम, 2002 के नियम 3 के अधीन प्रदत्त शक्तियों के प्रयोग में ऋणी **मेसर्स मीना एंटरप्राइजेज** (आवेदक) तथा **(1). श्री राहत सईद खान (2) श्री रहमत सईद खान (3) श्री ज़ाकिर सईद खान (4) श्री अफ़रोज़ सईद खान (5) श्री फ़िरोज़ सईद खान (6) श्री तारिक सईद खान (7) श्री साकिर सईद खान** (सह-आवेदक/ जमानतदार) को सूचना में उल्लेखित रकम राशि **रु. 92,79,785.25 (रुपये बानवे लाख उनासी हजार सात सौ पचासी एवं पच्चीस पैसे मात्र)** तथा अग्रिम ब्याज एवं अन्य प्रभार 60 दिनों के भीतर पुनर्सदत्त करने के लिए बुलाते हुए एक मांग देय सूचना दिनांक **14.03.2019** को जारी किया था।

उधारकर्ता द्वारा राशि का पुनर्भुगतान करने में असफल रहने पर, प्रतिभूति हित (प्रवर्तन) नियम, की नियम 8 के साथ पठित अधिनियम की धारा 13 की उपधारा (4) के अंतर्गत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए एतदद्वारा उधारकर्ता और आम लोगों को यह नोटिस दिया जाएगा की अधोहस्ताक्षरी नीचे उल्लेख की गई सम्पत्ति पर **08 अक्टूबर 2026** से कब्जा कर लिया है।

ऋणी को विशेष रूप से और लोक को सामान्य रूप से एतदद्वारा सम्पत्ति से संव्यवहार न करने के लिए सावधान किया गया और सम्पत्ति का कोई संव्यवहार यूको बैंक, मानगो, जमशेदपुर शाखा के प्रभार के अधीन **रु. 92,79,785.25 (रुपये बानवे लाख उनासी हजार सात सौ पचासी एवं पच्चीस पैसे मात्र)** 31.12.2018 तक (30-09-2018 तक के ब्याज के साथ) तथा अग्रिम ब्याज देय है।

उधारकर्ता का ध्यान प्रतिभूत आस्तियों के मोचन के लिए उपलब्ध समय के संदर्भ में अधिनियम की धारा 13 की उपधारा (8) के उपबंधों की ओर आकृष्ट किया जाता है।

अचल सम्पत्ति का विवरण

सम्पत्ति-1: बिक्री विलेख संख्या 405 दिनांक 13.01.2003 के अंतर्गत मेसर्स मीना एंटरप्राइजेज के नाम की समस्त भूमि, जिसका माप 20 फीट × 30 फीट = 600 वर्गफीट आवासीय (होमस्टेड) भूमि है, जो मौजा- परडीह, पुराना खाता संख्या-03, थाना संख्या-1641, पुराना प्लॉट संख्या-04, वर्तमान सर्वे प्लॉट संख्या-1469 के अंश, एमएनएसी वार्ड संख्या-8, नया खाता संख्या-1017, उप-पंजीयक जिला- जमशेदपुर, झारखण्ड में स्थित है।
सीमाएँ: उत्तर: अब्दुल रज्जाक की गली, **दक्षिण:** मेसर्स मीना एंटरप्राइजेज, **पूर्व:** रोड नंबर 4, **पश्चिम:** मेसर्स मीना एंटरप्राइजेज

सम्पत्ति-2: बिक्री विलेख संख्या 406 दिनांक 13.01.2003 के अंतर्गत मेसर्स मीना एंटरप्राइजेज के नाम की समस्त भूमि, जिसका माप 20 फीट × 30 फीट = 600 वर्गफीट आवासीय (होमस्टेड) भूमि है, जो मौजा- परडीह, पुराना खाता संख्या-03, थाना संख्या-1641, पुराना प्लॉट संख्या-04, वर्तमान सर्वे प्लॉट संख्या-1469 के अंश, एमएनएसी वार्ड संख्या-8, नया खाता संख्या-1017, उप-पंजीयक जिला- जमशेदपुर, झारखण्ड में स्थित है। **सीमाएँ: उत्तर:** अब्दुल रज्जाक की गली, **दक्षिण:** मेसर्स मीना एंटरप्राइजेज, **पूर्व:** मेसर्स मीना एंटरप्राइजेज, **पश्चिम:** निज

सम्पत्ति-3: बिक्री विलेख संख्या 3623 दिनांक 26.06.2002 के अंतर्गत मेसर्स मीना एंटरप्राइजेज के नाम की समस्त भूमि, जिसका माप 40 फीट × 60 फीट = 2,400 वर्गफीट आवासीय (होमस्टेड) भूमि है, जिस पर 10 फीट × 10 फीट माप वाले 2 (दो) कच्चे खपरापोश कमरे निर्मित हैं। कुल भूमि का क्षेत्रफल 3 (तीन) कट्ठा और 7 (सात) धुर, कम या अधिक, है। उक्त भूमि मौजा- परडीह में स्थित है तथा इसका विवरण पुराना खाता संख्या-03, थाना संख्या-1641, नया प्लॉट संख्या-1469, पुराना प्लॉट संख्या-04, वर्तमान सर्वे प्लॉट संख्या-1469 के अंश, एमएनएसी वार्ड संख्या-8, नया खाता संख्या-1017, उप-पंजीयक जिला- जमशेदपुर, झारखण्ड है।
सीमाएँ: उत्तर: निज, **दक्षिण:** मोहम्मद इब्राहिम, **पूर्व:** रोड नंबर 4, **पश्चिम:** निज

दिनांक : 08.10.2026 | स्थान : मानगो, जमशेदपुर **विवाद/त्रुटि की स्थिति में अंग्रेजी पाठ्य मान्य होगा।** **प्राधिकृत अधिकारी, यूको बैंक**

6:39 0 B/s Vo NR 5G+
page-HT_RANC_FULLPAG...

Hindustan Times

यूको बैंक भारत सरकार का उपक्रम | **UCO BANK** (A Govt. of India Undertaking) | सम्मान आपके विश्वास का | Honours Your Trust | **MANGO, JAMSHEDPUR BRANCH**

POSSESSION NOTICE (For Immovable Property)

Whereas,

The undersigned being the authorised officer of the **UCO Bank, Mango, Jamshedpur Branch** under the Securitisation and Reconstruction of Financial Assets and Enforcement of Security Interest Act, 2002 (No. 54 of 2002) and in exercise of powers conferred under section 13(12) read with Rule 3 of the Security Interest (Enforcement) Rules, 2002 issued a demand notice dated **14.03.2019** calling upon the Borrower **M/s Mina Enterprises** (Applicant) and **(1). Mr. Rahat Sayeed Khan (2) Mr. Rahmat Sayed Khan (3) Mr. Zakir Sayed Khan (4) Mr. Afroj Sayed Khan (5) Mr. Feroj Sayed Khan (6) Mr. Tarique Sayed Khan (7) Mr. Sakir Sayed Khan** (Co-applicant/ Guaranttors) to repay the amount mentioned in the notice being **Rs. 92,79,785.25 (Rupees Ninty Two Lakh Seventy Nine Thousand Seven Hundred Eighty Five And Twenty Five Paise Only)** as on 31.12.2018 (with interest up to 30-09-2018) within 60 days from the date of receipt of the said notice.

The Borrower having failed to repay the amount, notice is hereby given to the borrower and the public in general that the undersigned has taken possession of the property described herein below in exercise of powers conferred on him U/S 13(4) of Act read with Rule 8 of the Security Interest (Enforcement) Rules, 2002 on this the **08 October 2026.**

The borrower in particular and the public in general in hereby cautioned not to deal with the property and any dealings with the property will be subject to the charge of the UCO BANK, Mango, Jamshedpur Branch for an amount of **Rs. 92,79,785.25 (Rupees Ninty Two Lakh Seventy Nine Thousand Seven Hundred Eighty Five And Twenty Five Paise Only)** and interest thereon.

The Borrower's attention is invited to theprovision of Sub-section (8) of section 13 of the Act, in respect of time available to edeem the secured asssets.

Description of Immovable Property

Property-1 All the piece and parcel of land under **Sale deed 405 dated 13.01.2003** in name of M/s Mina Enterprises, measuring 20'ftx30'ft=600sqft homestead Land located at Mouza- Pardih, Old Khata No.-03,Thana No1641,Old Plot No-04, Portion of present Survey Plot No-1469,MNAC Ward No.8,New Khata No-1017, Sub Registry District- Jamshedpur, Jharkhand. **Bounded by : North :** Alley of Abdul Razzaque, **South :** M/s Mina Enterprises, **East :** Road No.4, **West :** M/s Mina Enterprises

Property-2 All the piece and parcel of land under **Sale deed 406 dated 13.01.2003** In name of M/s Mina Enterprises, measuring 20'ftx30'f = 600sqft homestead Land located at Mouza- Pardih, Old Khata No.-03,Thana No1641, Old Plot No-04, Portion of present Survey Plot No-1469, MNAC Ward No.8,New Khata No-1017, Sub Registry District- Jamshedpur, Jharkhand. **Bounded by : North :** Alley of Abdul Razzaque, **South :** M/s Mina Enterprises, **East :** M/s Mina Enterprises, **West :** Nij.

Property-3 All the piece and parcel of land under **Sale deed 3623 dated 26.06.2002** in name of M/s Mina Enterprises, measuring 40'ftx60'ft = 2400sqft homestead Land located at Mouza- Pardih, whereupon stands 2 kutcha khapra posh room measuring 10'ftx10'ft each, total measuring area 3(Three) Kathas and 7(seven) Dhurs, more or less. Old Khata No.-03, Thana No-1641, New Plot No-1469, Old Plot No-04, Portion of present Survey Plot No-1469, MNAC Ward No.8, New Khata No-1017, Sub Registry District- Jamshedpur, Jharkhand. **Bounded by : North :** Nij, **South :** Md. Ibrahim, **East :** Road No.4, **West :** Nij.

Date : 08.10.2026 | Place : Mango, Jamshedpur — **Authorised Officer, UCO Bank**

झारखण्ड सरकार,
कार्मिक, प्रशासनिक सुधार तथा राजभाषा विभाग

प्रेस विज्ञप्ति

एतद् द्वारा सूचित किया जाता है कि बिहार पुनर्गठन अधिनियम, 2000 के अधीन अंतिम संवर्ग विभाजन के बाद झारखण्ड राज्य को आवंटित झारखण्ड प्रशासनिक सेवा के पदाधिकारियों की वरीयता विभागीय आदेश संख्या 6385 दिनांक 24.11.2003 द्वारा निर्धारित की गई थी।

2. तदोपरांत, अंतिम संवर्ग विभाजन के बाद एकल आधार एवं पारस्परिक आधार पर स्थानान्तरण के फलस्वरूप झारखण्ड आने वाले कर्मियों की वरीयता निर्धारण के संबंध में विभागीय परिपत्र संख्या 6160 दिनांक 23.09.2024 द्वारा संसूचित निर्णय के आलोक में विभागीय अधिसूचना संख्या 8127 दिनांक 16.12.2024 द्वारा झारखण्ड प्रशासनिक सेवा के पदाधिकारियों की वरीयता पुनर्निर्धारित की गई।

3. माननीय झारखण्ड उच्च न्यायालय में दायर W.P.(S) No. 2565/2025, राधेश्याम प्रसाद एवं अन्य बनाम झारखण्ड राज्य एवं अन्य तथा W.P.(S) No. 6426/2024, अजय कुमार सिंह बनाम राज्य सरकार एवं अन्य में दिनांक 01.07.2026 को पारित न्यायादेशों के आलोक में विभागीय परिपत्र सं0 5929 दिनांक 18.09.2026 द्वारा पूर्व में निर्गत उपरोक्त विभागीय परिपत्र संख्या–6160 दिनांक–23.09.2024 की **कंडिका–7 में 7(*ii*)** के पश्चात निम्नवत् एक नई उप कंडिका–7(***iii***) जोड़ा गया है :–

उप कंडिका–7(***iii***) "उपर्युक्त कंडिका–7(*ii*) में उल्लेखित परिपत्र की शर्त्तें केवल उन्हीं कर्मियों पर लागू होगी, जिनके पारस्परिक स्थानान्तरण आदेश में "वरीयता का दावा मान्य नहीं होगा" अथवा "कार्मिक, प्रशासनिक सुधार तथा राजभाषा विभाग, झारखण्ड, राँची के पत्रांक–4450 दिनांक–19.07.2008" या "गृह (विशेष) विभाग, बिहार सरकार के पत्रांक–277 दिनांक–03.02.2009 के आलोक में वरीयता निर्धारित होगा", का उल्लेख रहेगा।

4. उक्त संशोधन के आलोक में झारखण्ड प्रशासनिक सेवा के पदाधिकारियों (झारखण्ड लोक सेवा आयोग द्वारा अनशंसित एवं नियुक्त पदाधिकारियों को छोड़कर) की औपबंधिक वरीयता सूची का प्रकाशन किया गया है। औप... सूची कार्मिक, प्रशासनिक सुधार तथा राजभाषा विभाग, झारखण्ड की आधिकारिक वेबसाइट dop... gov.in के Gradation List फोल्डर में देखी जा सकती है।

5. वैसे पदाधिकारी, जो औपबंधिक वरीयता सूची में अंकित तथ्यों के संबंध में कोई दावा/आपत्ति देना चाहे... के साथ अपनी दावा/आपत्ति औपबंधिक वरीयता सूची के प्रकाशन के 08 (आठ) दिन के अंदर विभाग... संबोधित करते हुए लिखित रूप में अथवा विभागीय ई–मेल dopjharkhand@gmail.com के माध्यम से दे सकते हैं।

संबंधित पदाधिकारियों से 08 (आठ) दिन के अंदर प्राप्त आपत्तियों पर सम्यक विचारोपरांत अंतिम वरीयता सची